

**-:प्रेस नोट दिनांक 08.02.21:-**

**थाना मीरगंज जनपद बरेली**

**थाना मीरगंज #bareillypolice द्वारा हत्या के मुकदमें में वांछित अभियुक्तगणों 1. वीरेन्द्रपाल पुत्र ओमकार 2. गंगाराम पुत्र मोहनलाल को किया गिरफ्तार ।**

दिनांक 03/02/2021 को वादिनी श्रीमती कमला देवी पत्नी रामभरोसे निवासी ग्राम दिवना थाना मीरगंज जिला बरेली जाति बाल्मिकी बरेली सूचना दी कि अभि०गणों 1. वीरेन्द्र पुत्र ओमकार 2. सोवरन पुत्र ओमकार निवासीगण ग्राम दिवना थाना मीरगंज जिला बरेली 3. गंगाराम पुत्र मोहनलाल निवासी ग्राम पहुँचा खुर्द थाना मीरगंज जिला बरेली द्वारा वादिनी के पति रामभरोसे को जाति सूचक शब्द कहते हुए, बब्लू पुत्र रामौतार को उकसाना जिससे बब्लू पुत्र रामौतार द्वारा वादिनी के पति रामभरोसे के साथ घर में घुसकर लाठी डन्डे से मारपीट करना जिससे वादिनी के पति रामभरोसे उम्र करीब 50 वर्ष की मृत्यु हो जाना के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया । घटना अत्यन्त सनसनीखेज थी । जिसके सम्बन्ध में थाना मीरगंज पर मु०अ०स० 38/2021 धारा 452/302/120बी व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 05.02.2021 को अभि०गण 1. बब्लू पुत्र रामौतार 2. सोवरन पुत्र ओमकार निवासीगण ग्राम दिवना थाना मीरगंज जिला बरेली गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली के आदेश पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी मीरगंज जनपद बरेली के निर्देशन में शेष अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु प्र०नि० मीरगंज के कुशल नेतृत्व में टीम गठित की गयी । दिनांक 08/02/2021 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 1. वीरेन्द्रपाल पुत्र ओमकार 2. गंगाराम पुत्र मोहनलाल नि०गण ग्राम दिवना थाना मीरगंज बरेली को समय 12.25 बजे दिन में नलनगरिया तिराहा थाना मीरगंज जनपद बरेली से गिरफ्तार किये गये ।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-**

1. वीरेन्द्र पाल पुत्र ओमकार नि० ग्राम दिवना थाना मीरगंज बरेली ।
2. गंगाराम पुत्र मोहनलाल नि० ग्राम दिवना थाना मीरगंज जिला बरेली ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक दयाशंकर थाना मीरगंज जनपद बरेली ।
2. उ०नि० राजदीप सिंह थाना मीरगंज जनपद बरेली ।
3. उ०नि० बलराज सिंह थाना मीरगंज जनपद बरेली ।
4. का० 2089 चमन राणा थाना मीरगंज जनपद बरेली ।
5. का० 2756 गौरव कुमार थाना मीरगंज जनपद बरेली ।

सोशल मीडिया सैल  
जनपद बरेली ।